1229

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पालीटेक्निक,
शामली (मु0नगर)।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0, कानपुर ।

संख्या: 1197 /भवन-भूमि/92-93 दिनांक : अक्टूबर : , 1992

महोदय,

भूमि संबंधी आपके पत्र संख्या-31177/ई-प्लान-म0-शामली दिनांक 31.8.92 के संदर्भ में नगरपालिका, शामली के पूर्व चेयरमैन एवम् जिलाधिकारी से सम्पर्क के पश्चात निम्नलिखित तथ्य आपके सूचनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं ।

जिला मुजफ्फरनगर में दो प्रकार के बीघा प्रचलित हैं । कच्चा एवं पक्का बीघा । इनमें 3 अनुपात 1 का अनुपात होता है । नगरपालिका द्वारा जो भूमि प्रस्तावित की गयी है वह 40 कच्चा बीघा है, जैसा प्रस्ताव में उल्लिखित है । जिलाधिकारी द्वारा भी इसी क्षेत्रफल की भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जो 13 पक्का बीघा तथा 7 बीस्सा है । यह लगभग 6.8 एकड़ है । दोनों भूमि एक ही क्षेत्रफल की है । जिलाधिकारी द्वारा उक्त संबंध में अलग से पत्र प्रेषित किया जा रहा है ।

अत: निवेदन है कि उक्त भूमि को प्राप्त कराने हेतु आवश्यक शासनादेश शीघ्र कराने की कृपा करें ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(मधुकर)
प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पालीटेक्निक,
शामली जिला मुजफ्फर नगर (उ0प्र0)
13/10/92

पृ0सं0 1198 /भवन-भूमि/92-93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त भ्रम के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे राजकीय महिला पालीटेक्निक जैसी महत्वपूर्ण संस्था को शीघ्र भूमि आवंटित हो सके ।

(हस्ताक्षर)
(मधुकर)
प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पालीटेक्निक,
शामली जिला मुजफ्फर नगर (उ0प्र0)

रवीन्द्र///